



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 28.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## थाना अजनर पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध शस्त्र धारक अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक अजनर श्री अभिमन्यू यादव द्वारा गठित टीम ने अभियान में शामिल होकर मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रविन्द राजपूत S/O शम्भू दयाल राजपूत उम्र 30 वर्ष नि.ग्राम जैलवारा थाना अजनर जिला महोबा को थाना अजनर क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम जैलवारा के पास से 01 अदद देशी तमंचा 12 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु.अ.स. 99/2021 धारा 3/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण...।

रविन्द राजपूत S/O शम्भू दयाल राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जैलवारा थाना अजनर जिला महोबा

### गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-

1. उ.नि. हरिशचन्द्र मिश्रा थाना अजनर जनपद महोबा
2. का. बलजीत सिंह 3. का. मुलायम यादव थाना अजनर जनपद महोबा





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 28.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **महोबकंठ पुलिस टीम ने ताश-पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा रहे अभियुक्तों को किया गिरफ्तार...**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध पर अंकुश एवं अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेज बहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाये जा रहे अवैध जुआं/शराब में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.05.2021 को थानाध्यक्ष महोबकंठ श्री सुनील कुमार तिवारी द्वारा गठित पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर अभियुक्तगण क्रमशः 1. खेमचन्द्र पुत्र रामदयाल कोरी उम्र करीब 48 वर्ष 2. नरसिंह पुत्र तिज्जू राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष 3 .टुडू पुत्र रामदयाल अहिरवार उम्र करीब 29 वर्ष 4.राजेश पुत्र हरप्रसाद राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष 5 .रविन्द्र पुत्र चन्द्रभान राजपूत उम्र 45 वर्ष 6 .मुकेश पुत्र गोकुल अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष को जरिये ताश-पत्ता हार-जीत की बाजी लगाकर जुआँ खेलने के सम्बन्ध में पुलिस बल उपरोक्त द्वारा ग्राम उमरई से जूनियर हाई स्कूल की दीवाल के पीछे से गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 68/21 धारा 13 जी. एक्ट का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया गया

### **गिरफ्तार करने वाली टीम...**

1. उ0नि0 सूरज प्रसाद 2. कां0 सज्जन लाल
3. कां0 पंकज पाल 4. प्रवीण कुमार 5. कां0 पंकज पाल

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण...**

- 1.खेमचन्द्र पुत्र रामदयाल कोरी उम्र करीब 48 वर्ष
  - 2.नरसिंह पुत्र तिज्जू राजपूत उम्र करीब 40 वर्ष
  - 3.टुडू पुत्र रामदयाल अहिरवार उम्र करीब 29 वर्ष
  - 4.राजेश पुत्र हरप्रसाद राजपूत उम्र करीब 22 वर्ष
  - 5.रविन्द्र पुत्र चन्द्रभान राजपूत उम्र 45 वर्ष
  - 6.मुकेश पुत्र गोकुल अहिरवार उम्र करीब 30 वर्ष
- समस्त निवासीगण ग्राम उमरई थाना महोबकंठ जनपद महोबा

**बरामदगी-** मालफड़-6050 रु0/- व जामातलाशी-2010 रु0/-





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 28.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



## **थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार...।**

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के .गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के निर्माण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान व इसमें लिप्त अपराधियों के गिरफ्तारी अभियान के क्रम में दिनांक 27.05.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह द्वारा गठित आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियान के तहत कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा कबरई से 02 नफर अभियुक्ताओं क्रमशः 1. मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 42 2. लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 35 वर्ष जिनके कब्जे से 15 - 15 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया, बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर क्रमशः मु0अ0सं0 154/21 व मु0अ0सं0 155/21 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की गयी।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...**

1. उ0नि0 सुमित नारायण तिवारी
2. म0कां0 निशी अग्निहोत्री,
3. आबकारी निरीक्षक रामकृष्ण चतुर्वेदी
4. आ0सि0 बृजेश कुमार...।

### **गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण...।**

1. श्रीमती मंजा पत्नी राजकुमार कबूतरा उम्र 42 वर्ष नि0 कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा
2. श्रीमती लक्ष्मी पत्नी सुजीत कबूतरा उम्र 35 वर्ष नि0 कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा व थाना कबरई जिला महोबा

**गिरफ्तारी का स्थान...** कबूतरा डेरा वर्मा तालाब कस्वा कबरई जनपद महोबा।





**प्रेस विज्ञप्ति**  
**दिनांक:- 28.05.2021**

# महोबा पुलिस

**सोशल मीडिया सेल**



**क्षेत्राधिकारी नगर मय फोर्स के शहर में पैदल गस्त करके लोगो को कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई...**



आज दिनांक 28.05.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में वैश्विक महामारी **कोविड-19** संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु जनपद में लगाये गये लॉकडाउन का पालन कराये जाने एवं लोगो को कोविड-19 संक्रमण के प्रति जागरुक करने के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय मय कोतवाली महोबा पुलिस बल के शहर में पैदल गस्त करके लोगो को कोविड संक्रमण के प्रति जागरुक किया गया एवं

जनपदीय थानों द्वारा क्षेत्र में पैदल गस्त करके ग्रामवासियों/क्षेत्रवासियों को कोविड-19 से बचाव हेतु लोगो से मास्क लगाने, हाथो को समय-समय पर पानी/साबुन से धोते रहने, 02 गज की दूरी बनाये रखने एवं अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **13 ई-चालान व** कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **20 व्यक्तियों से 4700/-रु0 शुल्क वसूला गया।**

